

FORM NO III  
फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

3/5/17

13/6/17

3/6/16

248/16

289/16

191-16

171/16

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्रीमती रचना पत्नि श्री रामकिशन जाति जाट निवासी ग्राम भारला तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

वादीगण

बनाम

1. महाराम पुत्र श्री रामचन्द्र कौम जाट सर्व निवासीगण ग्राम भारला तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 53, 188 रा0का0अधि0

नंबर 31/2016

वकील वादीगण श्री रामेश्वरलाल चौधरी

वकील प्रतिवादीगण .....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मध्य इनिशियल्स जज  | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 28.03.2016  | <p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामेश्वरलाल चौधरी ने अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधिनियम के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>29.4.16</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>किशनगढ़ (अजमेर)</p> <p>दि. <u>29.4.16</u><br/>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। तलबी/जवाब/<br/>दस्तावेजात्/संलग्न/वादात् पेश करने का आदेश पत्रावली<br/>वास्ते तलबी दिनांक 3/6/16 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>किशनगढ़</p> <p>दि. <u>2/5/16</u> पत्रावली आज राज्य सरकार व राज. व<br/>मण्डल राज. द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत<br/>के आयोजन के कारण उक्त प्रकरण नियत तिथि से पूर्व ग्राम<br/>पंचायत <u>3/5/16</u> के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित लोक<br/>अदालत में रखा जावे सम्बन्धित पक्षकारान् के अभिभावक<br/>गण को सूचित किया गया तब पक्षकारान् को सूचनार्थ नाटिस<br/>जारी होकर पत्रावली दि. <u>11.5.16</u> के मध्य <u>9/5/16</u> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी<br/>किशनगढ़</p> |   |

